प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिलाः **A.C.B O.P. Alwar-1st, Alwar** थानाः **C.P.S, A.C.B. Jaipur** वर्ष 2022

प्र.ई.रि.सं.....376/2022 दिनांक 22/9/2022

2.–(1) अधिनियमः भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 धारा **7, 7ए**

(2) अधिनियमः भारतीय दण्ड संहिता धारा..... **120 बी,**

(3) अधिनियम..... धारायें.....

(4) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....

3.–(अ) रोजनामचा आम रपट संख्या.....4.20.....समय.....6.20 PM

(ब) अपराध के घटने का दिनः बुधवार दिनांक 21/09/2022, समय 04.11 पी.एम.

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक – मंगलवार दिनांक 20/09/2022, समय 1.00 पी.एम.

4.–सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक लिखित

5–घटनास्थल :

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः दक्षिण, दूरी करीब 20 किमी., ए.सी.बी., चौकी अलवर सें

(ब) पताः– राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय मालाखेडा के सामने स्थित आरोपी डॉ. जितेन्द्र शेखर सिनियर फिजिशियन सी.एच.सी. मालाखेडा का प्राईवेट क्लिनिक

बीट संख्या ..... जरायमदेही सं.....

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं, तों पुलिस थाना .....जिला.....

6.– परिवादी/सूचनाकर्ता :–

(अ) नाम :– श्री रामसिंह (ब) पिता का नाम :– श्री पोल्याराम

(स) जन्म तिथि :– उम्र 43 साल (द) राष्ट्रीयता :– भारतीय

(य)पासपोर्ट संख्या.....जारी होने की तिथि.....जारी होने की जगह

(र)व्यवसायः– दुकान

(ल)पताः– निवासी ग्राम रतनगढ, पाला, तहसील व थाना मालाखेडा, जिला– अलवर, मोबाईल नं. 7690808614, 9785190567

7.– ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–

1. **डॉ. जितेन्द्र शेखर पुत्र श्री चन्द्रशेखर, जाति जाटव, उम्र 46 साल, निवासी बी –270 मालवीय नगर, अलवर हाल वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मालाखेडा, जिला अलवर।**
2. **श्री राहुल यादव पुत्र श्री दिनेश चन्द यादव, निवासी मालीवास बिजवाड नरूका, तहसील व थाना मालाखेडा जिला अलवर हाल प्राईवेट लैब टैक्नीशियन विजय डायग्नोस्टिक सेन्टर मालाखेडा, जिला अलवर ।**

8.– परिवादी /सूचनाकर्ता द्वारा इत्तिला देने में विलम्ब का कारण :– .....

9.– चुराई हुई/लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।):–

10.–चुराई हुई/लिप्त सम्पति का कुल मूल्यः– 22,000/–रूपयें ट्रेप राशि

11.–पंचनामा/यू.डी.केस संख्या (अगर हो तो).....

12.–विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।)

प्रकरण के हालात इस प्रकार है कि दिनांक 20–09–2022 को समय 1.00 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक प्रेम चन्द के सम्मुख परिवादी रामसिंह पुत्र पोल्या, जाति मीणा, निवासी ग्राम रतनगढ, पुलिस थाना मालाखेडा,जिला– अलवर ने उपस्थित होकर एक कम्प्यूटर से टाईपशुदा प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि " सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, अलवर। विषयः– सी.एच.सी.मालाखेडा के डाक्टर श्री जितेन्द्र शेखर को रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकडवाने के सम्बन्ध में। महोदय,निवेदन है कि मैं राम सिंह पुत्र पोल्या राम मीणा, निवासी रतनगढ, पाला, तहसील व थाना मालाखेडा, जिला अलवर का रहने वाला हूँ। दिनांक 28.8.2022 को शाम के समय मेरी पत्नि श्रीमती मालती देवी एवं मेरे पुत्र देशराज मीना के साथ मेरे ही गाँव के श्री हेतराम पुत्र कल्याण, दीपक पुत्र डब्लू एवं हंसराज पुत्र डब्लू ने मारपीट कर दी थी, जिसमें मेरे पुत्र देशराज के बायें पैर मे चोट आई है। उक्त मारपीट के संबंध मे मेरी पत्नि मालती देवी ने पुलिस थाना मालाखेडा में दिनांक 29.8.2022 को रिपोर्ट पेश की थी, जिस पर उक्त के खिलाफ दिनांक 09.09.2022 को पुलिस थाना मालाखेडा में मुकदमा नं0 664/2022 दर्ज किया गया है। मेरी पत्नि द्वारा दर्ज करवाये गये उक्त मुकदमें में मेरे पुत्र देशराज का सी.एच.सी.मालाखेडा में दिनांक 19.09.2022 को मेडीकल मुआयना करवाया तो सी.एच.सी.मालाखेडा के डॉक्टर श्री जितेन्द्र शेखर द्वारा मेरे पुत्र का मेडिकल मुआयना कर मेडिकल रिपोर्ट देने की एवज में मेरे से व मेरे साथी सन्तोष मीणा से 25 हजार रूपये रिश्वत की मांग कर रहा है और मेरे साथी सन्तोष कुमार मीणा से कहा कि मुझे पैसे नही दोगें तो मैं देशराज की मेडिकल रिपोर्ट कमजोर कर दूंगा जिससे आपका केस कमजोर हो जायेगा तथा उसने मेरे पुत्र देशराज की मेडिकल रिपोर्ट को अपने पास ही रख लिया और मेरे साथी श्री सन्तोष कुमार मीणा से कहा कि 25 हजार रू0 लाकर मेरे को दे देना मैं देशराज का मेडिकल अच्छा बना दूंगा। हम डॉक्टर जितेन्द्र शेखर, सी.एच.सी. मालाखेडा को रिश्वत नही देना चाहते है तथा मैं उसे रिश्वत लेते हुए को ए.सी.बी.

से पकडवाना चाहता हूँ। कृपया कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे। दिनांक 20–09–2022 प्रार्थी– हस्ताक्षर रामसिंह मीणा पुत्र पोल्या, जाति मीणा, उम्र 43 साल, निवासी ग्राम रतनगढ, पाला, तहसील व थाना मालाखेडा, जिला– अलवर, मोबाईल नं. 7690808614, 9785190567 " उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर प्रार्थना पत्र परिवादी श्री रामसिंह को पढकर सुनाया गया तथा परिवादी से दरियाफ्त की गई तो परिवादी श्री राम सिंह ने प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए बताया कि दिनांक 28.8.2022 को मेरी पत्नि श्रीमती मालती देवी एवं मेरे पुत्र देशराज मीना के साथ मेरे ही गाँव के श्री हेतराम पुत्र कल्याण, दीपक व हंसराज पुत्रान डब्लू ने मारपीट कर दी थी, जिसमें मेरे पुत्र देशराज के बायें पैर में चोट आ गई थी। उक्त मारपीट की घटना की मेरी पत्नि मालती देवी ने पुलिस थाना मालाखेडा में दिनांक 29.8.2022 को रिपोर्ट पेश की थी, जिस पर श्री हेतराम पुत्र कल्याण, दीपक व हंसराज पुत्रान डब्लू के खिलाफ दिनांक 09.09.2022 को पुलिस थाना मालाखेडा में मुकदमा नं0 664/2022 दर्ज किया गया था। मेरी पत्नि द्वारा दर्ज करवाये गये उक्त मुकदमें में मेरे पुत्र देशराज का सी.एच.सी.मालाखेडा में दिनांक 19.09.2022 को मेडीकल मुआयना करवाया तो सी.एच.सी.मालाखेडा के डॉक्टर श्री जितेन्द्र शेखर द्वारा मेरे पुत्र का मेडिकल मुआयना करके मेडिकल रिपोर्ट अच्छी बनाकर देने की एवज में मेरे से व मेरे साथी सन्तोष मीणा से 25 हजार रूपये रिश्वत की मांग की और हमारे से कहा कि मुझे पैसे नही दोगें तो मैं देशराज की मेडिकल रिपोर्ट कमजोर कर दूंगा जिससे आपका केस कमजोर हो जायेगा तथा उसने मेरे पुत्र देशराज की मेडिकल रिपोर्ट को अपने पास ही रख लिया और हमारे से कहा कि 25 हजार रू0 लाकर मेरे को दे देना मैं आपका मेडिकल अच्छा बना दूंगा। मै डाक्टर जितेन्द्र शेखर, सी.एच.सी.मालाखेडा को रिश्वत नही देना चाहता हूँ तथा उसे रिश्वत लेते हुए को ए.सी.बी. से पकडवाना चाहता हूँ। परिवादी ने यह भी बताया कि मेरी डा0 जितेन्द्र शेखर, सी.एच. सी.मालाखेडा, जिला अलवर से कोई रजिंश या दुश्मनी नही है तथा कोई उधार लेन–देन भी बकाया नही है। परिवादी श्री रामसिंह ने यह भी बताया कि वह कम पढा–लिखा है तथा ठीक से लिख नही पाता है, लिखे हुये को हिन्दी में अच्छी तरह से पढना जानता है। इसलिए उसने उक्त प्रार्थना पत्र स्वयं ने बोल–बोल कर एक कम्प्यूटर वाले से टाईप करवाकर लाना तथा उक्त प्रार्थना पत्र पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया तथा उक्त मेडिकल रिपोर्ट बनाने के सम्बन्ध में डा0 जितेन्द्र शेखर, सी.एच.सी. मालाखेडा द्वारा रिश्वत की बाते अपने साथी श्री सन्तोष कुमार मीणा पुत्र श्री लटूर राम मीणा, निवासी रतनगढ, पाला, तहसील मालाखेडा से ही करना बताया इसलिए परिवादी ने आगे की समस्त कार्यवाही में अपने साथी श्री सन्तोष कुमार मीणा को भी साथ रहने के लिये बताया। दौराने पूछताछ परिवादी श्री रामसिंह द्वारा अपनी पहचान स्वरूप पेश किये गये अपने आधार कार्ड की स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित छायाप्रति को बाद अवलोकन संलग्न पत्रावली किया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थना पत्र एवं की गई मजीद पूछताछ से मामला रिश्वत के लेन–देन का पाया जाता है। अतः रिश्वती मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जावेगा। उक्त सम्बन्ध में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरों, अलवर प्रथम, अलवर को अवगत करवाया जाकर आवश्यक निर्देश प्राप्त किये गये।

परिवादी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थना पत्र एवं उस पर की गई मजीद पूछताछ से मामला रिश्वत के लेन–देन का पाया जाने पर दिनांक 20.09.2022 को समय 01.30 पी.एम. पर कार्यालय की अलमारी से विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकलवाकर उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर में नया एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 16 GB लगाकर डिजिटल वाईस रिकार्डर परिवादी श्री रामसिंह को चलाने व बन्द करने की विधी समझाकर परिवादी के समक्ष श्री महेश कुमार कानि. 462 को सुपुर्द किया गया। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह डा. जितेन्द्र शेखर, सी.एच.सी. मालाखेडा के पास जाकर अपने पुत्र देशराज की मेडिकल मुआयना की अच्छी रिपोर्ट बनाने के सम्बन्ध में डा0 जितेन्द्र शेखर द्वारा रिश्वत मांग किये जाने के सम्बन्ध में वार्ता करे तथा डा0 जितेन्द्र शेखर से हुई वार्ता को ब्यूरों के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर मन पुलिस निरीक्षक को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्रस्तुत करें। इस पर परिवादी श्री रामसिंह ने मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि डा0 जितेन्द्र शेखर रिश्वत की बात मेरे से नही करेगा क्योकि उसने मेरे से कल दिनांक 19.09.2022 को यह कहा था कि इन कामों में आप नही समझते हो तथा उसने 25 हजार रू0 रिश्वत के मेरे साथी सन्तोष कुमार मीणा से ही मंगवाये है। इसलिए डा0 जितेन्द्र शेखर रिश्वत सम्बन्धी बातचीत मेरे साथी श्री सन्तोष कुमार मीणा से ही करेगा। सन्तोष कुमार मीणा अभी मालाखेडा में मौजूद मिल जायेगा और डाक्टर जितेन्द्र शेखर से रिश्वत की बात करने के लिये वही जायेगा। इस पर परिवादी के बतायेनुसार श्री महेश कुमार कानि0 462 को हिदायत दी गई की वह रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी श्री रामसिंह के साथ मालाखेडा जावे तथा मालाखेडा में मौजूद परिवादी के साथी श्री सन्तोष कुमार मीणा को उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू व बन्द करने की विधि समझाकर उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू करके परिवादी के साथी श्री सन्तोष कुमार मीणा को सुपुर्द कर परिवादीगण को रिश्वत मांग सत्यापन हेतु संदिग्ध आरोपी डा0 जितेन्द्र शेखर, सी.एच.सी. मालाखेडा के पास भेजे तथा परिवादीगण के साथ आसपास रहकर परिवादीगण व संदिग्ध
आरोपी को आपस में वार्ता करते हुये देखे तथा संभव हो तो उक्त के मध्य हुई वार्ता को सुनने का प्रयास करे। परिवादी श्री रामसिंह व श्री महेश कुमार कानि0 कानि0 462 को रिश्वत मांग सत्यापन के लिये रवाना किया गया।

दिनांक 20.09.2022 को समय 07.50 पी.एम. पर बाद रिश्वत माँग सत्यापन के श्री महेश कुमार कानि0 462 मय हमराह परिवादीगण श्री रामसिंह एवं परिवादी के साथी श्री सन्तोष कुमार मीणा पुत्र श्री लटूर राम मीणा, निवासी रतनगढ, पाला, तहसील व थाना मालाखेडा, जिला अलवर के कार्यालय में उपस्थित आया तथा श्री महेश कुमार कानि0 462 ने रिश्वत मांग सत्यापन की वार्ताओं का रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर मन पुलिस निरीक्षक को प्रस्तुत किया। तत्पश्चात परिवादी श्री रामसिंह ने बताया कि मैं व श्री महेश कुमार कानि0 आपके कार्यालय से रवाना होकर कस्बा मालाखेडा पहुचे, जहा पर हमें मेरा साथी सन्तोष कुमार मीणा मौजूद मिला, जिससे श्री महेश कुमार कानि0 ने प्रकरण के सम्बन्ध में बातचीत कर मेरे समक्ष श्री सन्तोष कुमार मीणा को ए.सी.बी. के डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू व बन्द करने की विधि समझाकर श्री महेश कुमार कानि0 ने समय करीब 05.15 पी.एम. पर उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू कर श्री सन्तोष कुमार मीणा को दिया, जिसे साथ लेकर के मैं व मेरा साथी सन्तोष कुमार मीणा, मालाखेडा में स्टेशन रोड पर स्थित डा0 जितेन्द्र शेखर, सी.एच.सी.मालाखेडा की प्राईवेट क्लिनिक पर गये, तो डा0 जितेन्द्र शेखर अपनी उक्त क्लिनिक पर मौजूद मिला, जिससे मेरे साथी श्री सन्तोष कुमार मीणा ने मेरे पुत्र देशराज की मेडिकल रिपोर्ट बनाने के बारे में बात की तो डा0 जितेन्द्र शेखर ने मेरे पुत्र देशराज की मेडिकल रिपोर्ट अच्छी बनाने की एवज में 22,000 रू0 रिश्वत की मांग की। मेरे साथी श्री सन्तोष कुमार मीणा व डाक्टर जितेन्द्र शेखर के बीच रिश्वत मांग के क्रम में जो वार्ता हुई, उन सभी बातों को मेरे साथी सन्तोष कुमार मीणा ने ए.सी.बी. के डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया तथा मेरे साथी सन्तोष कुमार मीणा ने उक्त टेप रिकार्डर श्री महेश कुमार कानि0 को दे दिया था, जिसको श्री महेश कुमार कानि0 ने बन्द कर अपने पास रख लिया था। इसके बाद मैं व मेरा साथी सन्तोष कुमार मीणा, श्री महेश कुमार कुमार कानि0 के साथ आपके पास आ गये। पूछने पर परिवादी के साथी श्री सन्तोष कुमार मीणा व श्री महेश कुमार कानि0 ने परिवादी रामसिंह के उक्त तथ्यों की ताईद की। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक ने श्री महेश कुमार कानि0 द्वारा सुपुर्द टेपरिकार्डर को चलाकर सुना, जिसमे परिवादी द्वारा बताये गये कथनों की ताईद हुई तथा रिश्वत मांग का सत्यापन होना पाया गया। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक द्वारा उक्त वार्ताओं के रिकार्डशुडा डिजिटल वाईस रिकार्डर को कार्यालय की आलमारी के लॉक में सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात परिवादी के साथी श्री सन्तोष कुमार मीणा को परिवादी श्री रामसिंह द्वारा आज दिनांक 20.09.2022 को मन पुलिस निरीक्षक को कम्प्यूटर से टाईपशुदा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन करवाया गया, जिस पर श्री सन्तोष कुमार मीणा ने भी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद की तथा उक्त प्रार्थना पत्र पर परिवादी के साथी श्री सन्तोष कुमार मीणा के भी हस्ताक्षर करवाये गये तथा श्री सन्तोष कुमार मीणा द्वारा अपनी पहचान स्वरूप पेश किये गये अपने आधार कार्ड की स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित छायाप्रति को बाद अवलोकन संलग्न पत्रावली किया गया। अग्रिम कार्यवाही दो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष की जावेगी। तत्पश्चात समय समय 08.30 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री रामसिंह एवं परिवादी के साथी श्री सन्तोष कुमार मीणा को संदिग्ध आरोपी डा0 जितेन्द्र शेखर, सी.एच.सी.मालाखेडा को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 22000 रू0 अपने साथ लेकर अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 21.09.2022 को प्रातः 10.00 ए.एम. ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित होने की एवं गोपनीयता की हिदायत कर ब्यूरों कार्यालय से रवाना किया गया।

दिनांक 21.09.2022 को समय 10.30 ए.एम. पर पाबन्दशुदा परिवादी श्री रामसिंह मय अपने साथी श्री सन्तोष कुमार मीणा के ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित आया तथा परिवादी श्री रामसिंह ने मन पुलिस निरीक्षक को संदिग्ध आरोपी डा0 जितेन्द्र शेखर, सी.एच.सी.मालाखेडा को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 22,000 रू0 अपने साथ लेकर आना बताया तथा साथ ही यह भी बताया कि संदिग्ध आरोपी डा0 जितेन्द्र शेखर, रिश्वत की राशि मेरे साथी श्री सन्तोष कुमार मीणा से ही प्राप्त करेगा। परिवादीगण को कार्यालय कक्ष में बैठाया गया तथा समय 11.45 ए.एम. पर जिला परिषद अलवर से तलबशुदा गवाह श्री साहिल गुर्जर, कनिष्ठ सहायक एवं श्री राकेश, कनिष्ठ सहायक तलबी पर कार्यालय में उपस्थित आये। जिनका पूर्व से कार्यालय में मौजूद परिवादीगण से आपसी परिचय करवाया गया तथा उक्त दोनों गवाहान को परिवादी श्री रामसिंह द्वारा दिनांक 20.09.2022 को ब्यूरों में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पढवाया जाकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गई, जिस पर उक्त दोनों गवाहान ने सुन समझकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की अपनी–अपनी सहमति प्रदान की तथा परिवादी श्री रामसिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दोनों गवाहान ने अपने–अपने हस्ताक्षर किये।

तत्पश्चात समय 12.00 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक ने गवाह श्री साहिल गुर्जर, कनिष्ठ सहायक एवं श्री राकेश, कनिष्ठ सहायक एवं परिवादीगण श्री रामसिंह एवं श्री सन्तोष कुमार मीणा की उपस्थिति में परिवादी के साथी श्री सन्तोष कुमार मीणा तथा संदिग्ध आरोपी डाक्टर जितेन्द्र शेखर, सी. एच.सी., मालाखेडा, जिला अलवर के मध्य दिनांक 20.09.2022 को रिश्वती मांग सत्यापन के समय हुई वार्ताओं के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को कार्यालय की आलमारी के लॉक से बाहर निकालकर उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर को विभागीय लैपटॉप में जोडकर चालूकर उक्त में रिकार्डशुदा वार्ताओं की ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। उपरोक्त वार्ताओं में परिवादी के साथी श्री सन्तोष कुमार मीणा ने अपनी आवाज व संदिग्ध आरोपी डाक्टर जितेन्द्र शेखर, सी.एच.सी., मालाखेडा, जिला अलवर की आवाज की तथा परिवादी श्री रामसिंह ने अपने साथी सन्तोष कुमार मीणा व संदिग्ध आरोपी डाक्टर जितेन्द्र शेखर, सी.एच.सी.,मालाखेडा, जिला अलवर की आवाज की पहचान की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की

संबंधित वॉईस क्लिप से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनो गवाहान तथा परिवादीगण ने सही होना स्वीकार किया। वार्ता की सीडी बनवाने हेतु तीन खाली सीडी मंगवायी जाकर तीनों को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकॉर्डशुदा उक्त वार्ताओं की लैपटॉप की सहायता से बारी–बारी से तीन सीडी तैयार की जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर क्रमशः तीनों सीडीयों पर मार्क "ए–1", मार्क "ए–2" एवं मार्क "ए–3" अंकित कर दोनों गवाहान तथा परिवादीगण श्री रामसिंह व श्री सन्तोष कुमार मीणा के हस्ताक्षर करवाकर सीडी मार्क "ए–1" व मार्क "ए–2" को पृथक–पृथक प्लास्टिक के सीडी कवर में सुरक्षित रखकर दोनों को सफेद कपड़े की थैलीयों में पृथक–पृथक सील मुहर किया जाकर कपड़े की थैलीयों पर भी मार्क "ए–1" व मार्क "ए–2" अंकित कर गवाहान एवं परिवादीगण के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ए.सी.बी. लिया गया तथा मार्क "ए–3" को अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। उक्त प्रकिया से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 16 GB में रिकॉर्ड शुदा उक्त वार्ताओं की जो सीडी बनाई गई है उनमें किसी भी प्रकार की छेडछाड एवं कांट–छाट नही की गई है। जिसकी पृथक से फर्द ट्रांसक्रिप्ट एवं जब्ती सीडी रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, दिनांक 21.09.2022 तैयार कर शामिल पत्रावली की गई तथा सिल्डशुदा सीडी मार्क ए–1 व ए–2 को मालखाना प्रभारी को सुपुर्द कर जमा चौकी मालखाना करवाया गया। समय 02.20 पी.एम. पर ए.सी.बी. चौकी अलवर द्वितीय, अलवर से तलबशुदा श्री लल्लूराम कानि0 487 के कार्यालय में उपस्थित आने पर समय 02.25 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक ने उक्त दोनो गवाहान के समक्ष परिवादी श्री रामसिंह को संदिग्ध आरोपी डाक्टर जितेन्द्र शेखर, सी.एच.सी.मालाखेडा, जिला अलवर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिये कहा तो परिवादी श्री रामसिंह ने अपने पास से 500–500 रूपये के 44 नोट कुल 22,000/–रूपये निकाल कर पेश किये, जिनके नम्बर फर्द पेशकशी व सुपुदर्गी नोट में अंकित किये गये। श्री लल्लू राम कानि0 487 से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी निकलवायी गयी तथा कार्यालय की एक टेबल पर साफ अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त 22,000/– रूपये के नोटो को रखकर उक्त नोटों पर श्री लल्लू राम कानि0 487 से अच्छी तरह से फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया गया। परिवादी के साथी श्री सन्तोष कुमार मीणा की जामा तलाशी गवाह श्री साहिल गुर्जर से लिवायी गयी तो परिवादी के साथी सन्तोष कुमार मीणा के पास कोई भी दस्तावेज/राशि/वस्तु नही रहने दी गयी। केवल उसका मोबाईल ही रहने दिया गया। उक्त फिनोफ्थलीन पाऊडर युक्त नम्बरी नोट 22,000/– रूपये को श्री लल्लू राम कानि0 487 से परिवादी के साथी श्री सन्तोष कुमार मीणा के बदन पर पहनी हुई पेन्ट की बगल की दाहिनी जेब में रखवाया गया। श्री लल्लू राम कानि0 487 से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी कार्यालय की आलमारी में वापस रखवायी गयी तथा जिस अखबार पर नोटों को रख कर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाया गया था, उस अखबार को जलवाया गया। उसके पश्चात श्री महेश कुमार कानि0 462 से एक कांच के गिलास में साफ पानी मंगवाया जाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया जाकर उक्त घोल में श्री लल्लू राम कानि0 487 की फिनोफ्थलीन युक्त हाथ की अगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिस पर परिवादीगण श्री रामसिंह, श्री सन्तोष कुमार मीणा एवं दोनों गवाहान को समझाया गया कि यदि आरोपी उक्त पाऊडर लगे नोटों को छुयेगा तो उसके हाथों में फिनोफ्थलीन पाऊडर लग जावेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा जिससे यह साबित होगा कि उसी ने रिश्वती राशि को अपने हाथो से प्राप्त किया है। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाया गया। तत्पश्चात परिवादी व परिवादी के साथी श्री सन्तोष कुमार मीणा को हिदायत दी गयी कि वह रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर दो बार हाथ फेर कर या मन पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल कर ट्रेप पार्टी को गोपनीय ईशारा करें, इसके पश्चात गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादीगण के साथ या आस–पास रहकर परिवादीगण व आरोपी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन–देन को देखने का प्रयास करें। तत्पश्चात श्री लल्लू राम कानि0 487 के दोनों हाथों को साबुन एवं साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद परिवादीगण, गवाहान एवं ट्रैप पार्टी के सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये, मैनें भी अपने हाथ साफ पानी व साबुन से धोये तथा ट्रैपबाक्स में रखी खाली शीशीयां मय ढक्कन, गिलास चम्मच आदि को साबुन व साफ पानी से धुलवाया गया। वक्त लेन–देन के समय आरोपित से होने वाली वार्ता को टेप करने हेतु विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर जिसमें दिनांक 20.09.2022 की रिश्वत मांग सत्यापन के समय की रिकार्डशुदा वार्ताओं का एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 16 GB लगा हुआ है, को चालू व बंद करने की विधि समझाकर परिवादी के साथी सन्तोष कुमार मीणा को सुपुर्द किया गया तथा श्री महेश कुमार कानि0 462 को परिवादी के उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू करने की हिदायत दी गई। जिसकी पृथक से फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट इत्यादि तैयार की गई।

दिनांक 21.09.2022 को समय 03.10 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक प्रेमचन्द मय स्वतन्त्र गवाह श्री साहिल गुर्जर, कनिष्ठ सहायक, श्री राकेश, कनिष्ठ सहायक एवं परिवादीगण श्री रामसिंह, श्री सन्तोष कुमार मीणा व ए.सी.बी. स्टाफ सदस्य मय ट्रैप बॉक्स मय सरकारी लैपटॉप व प्रिन्टर साथ लेकर एक प्राईवेट वाहन एवं एक सरकारी वाहन बोलेरो में बैठाकर मय चालक श्री इन्द्रजीत के हमराह लेकर एसीबी कार्यालय से वास्ते ट्रैप कार्यवाही बजानिब मालाखेडा, जिला अलवर के लिये रवाना हुआ तथा

साथ ही श्री विजय सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय प्राईवेट वाहन के ट्रेप कार्यवाही के सुपरविजन हेतु पृथक से रवाना हुये तथा श्री लल्लूराम कानि0 487 को मुनासिब हिदायत देकर ब्यूरों कार्यालय में ही छोडा गया। समय 04.00 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान जाप्ता व स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादीगण के कस्बा मालाखेडा में स्टेशन रोड पर राजकीय सीनियर सैकण्डरी स्कूल के सामने स्थित डा0 जितेन्द्र शेखर, सी.एच.सी.मालाखेडा की प्राईवेट क्लिनिक के नजदीक पहुंचा, जहॉ पर दोनों वाहनों को साईड में खडा करवाकर सभी को वाहनों से उतार कर मन पुलिस निरीक्षक ने श्री महेश कुमार कानि0 से परिवादी श्री सन्तोष कुमार मीणा का टेपरिकार्डर चालू करवाकर संदिग्ध आरोपी डा0 जितेन्द्र शेखर, सी.एच.सी.मालाखेडा के पास रिश्वत राशि देने के लिए उसकी उक्त क्लिनिक पर जाने के लिये परिवादीगण रामसिंह व सन्तोष कुमार मीणा रवाना किया गया तथा मन पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान मय हमराही जाब्ता के परिवादीगण पर निगरानी रखते हुये संदिग्ध आरोपी डा0 जितेन्द्र शेखर की क्लिनिक के आस–पास मौका अनुसार अपनी–अपनी पहचान छुपाते हुये परिवादीगण के ईशारे के इन्तजार में मुकिम हुआ। जिस पर समय 04.11 पी.एम. पर राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय मालाखेडा के सामने स्थित प्राईवेट क्लिनिक आरोपी डॉ. जितेन्द्र शेखर सिनियर फिजिशियन सी.एच.सी. मालाखेडा लिखा हुआ था के पूर्व मे स्थित विजय डायगोनिस्ट केन्द्र मालाखेडा से बाहर रोड पर आकर परिवादीगण ने अपने सिर पर हाथ फेरकर रिश्वत राशि देने का निर्धारित ईशारा किया। जिसको मन् पुलिस निरीक्षक एवं उक्त दोनो गवाहान ने देखा। परिवादी का निर्धारित ईशारा प्राप्त होने पर मन् पुलिस निरीक्षक उपरोक्त दोनो मौतविरान एवं ब्यूरो टीम के समस्त सदस्यो को हमराह लेकर परिवादीगण के पास पहुॅचा। जहॉ पर परिवादी से ब्यूरो का राजकीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को प्राप्त करके बंद कर अपने कब्जे लिया। तब परिवादी श्री रामसिंह ने उपरोक्त दोनो गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सामने डॉ. जितेन्द्र शेखर की क्लिनिक की ओर ईशारा करके बताया कि मै अपने साथी श्री सन्तोष मीणा के साथ डॉ. जितेन्द्र शेखर के पास उनकी क्लिनिक मे गया। जहाँ पर डॉक्टर साहब अकेले ही बैठे मिले। जिनसे हमने मेरे बेटा देशराज की मेडिकल रिपोर्ट के बारे मे बात की तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आपकी रिपोर्ट तो नॉर्मल ही बन रही है, उनके अर्थात दूसरी पार्टी के ज्यादा चोट है। जिस पर मैने कहा कि साहब आप तो कह रहे थे कि आपकी मेडिकल रिपोर्ट अच्छी बना दूंगा। इसी दौरान डॉक्टर साहब ने कहा कि पैसे ले आये क्या, तो मैने कहा कि लियाया हूँ। इस पर डॉक्टर साहब ने पूछा कि कितने है तो मैने कहा कि 22 हजार है डाक्टर साहब। इस पर डॉक्टर साहब ने पहले तो हमे कहा कि बगल वाली लैब मे राहुल है, उसको पैसे दे देना और मेरी बात करवा देना। फिर डॉ.साहब ने अपने मोबाईल से फोन करके पास ही स्थित लैब से एक लडके को अपने पास बुलाया और कहा कि इस लडके को पैसे दे दो। इस पर हम दोनो को वह लडका अपनी लैब पर लेकर गया और वहाँ पर जाते ही उस लडके ने कहा कि क्या बात है इस पर सन्तोष मीणा ने कहा कि डॉक्टर साहब ने आपको पेमेन्ट देबा की कही है। इस पर राहुल ने कहा कि दे जा तो यार। इस सन्तोष ने अपनी जेब मे रखे हुए पाऊडर लगे 500 – 500 रूपये के 44 नोटों कुल राशि 22 हजार रूपये निकाल कर उस लडके को दिये तो उसने कहा की कितने है। इस पर सन्तोष ने कहा कि बाईस हजार है, गिन लो। जिस पर उस लडके ने सन्तोष मीणा से रूपयो को अपने दाहिने हाथ मे लेकर रूपयो को गिनकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब मे रख लिया और वहां से निकल कर डॉक्टर साहब के पास चला गया तथा हम दोनो भी वहां से निकल कर बाहर आ गये। कुछ देर बाद वह लडका भी डॉक्टर साहब के पास से वापस अपनी क्लिनिक पर आ गया जो अभी अपनी क्लिनिक के अन्दर ही है। परिवादी द्वारा बताये गये उक्त तथ्यो की ताईद परिवादी के साथी श्री सन्तोष मीणा ने भी की। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी श्री रामसिंह एवं सन्तोष मीणा को दोनो गवाहान एवं ब्यूरो टीम सहित अपने हमराह लेकर परिवादी के बाताये अनुसार एक दुकान जिस पर विजय डा लिखा हुआ था, मे प्रवेश किया तो वहाँ पर एक लडका खडा मिला जिसकी तरफ परिवादी ने ईशारा करके बताया कि यही वह लडका है, जिसको डॉक्टर के कहने पर हमने रिश्वत के 22 हजार रूपये दिये है। इस पर उक्त लडके को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना एवं हमाराहियान का परिचय देते हुए उससे उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम श्री राहुल यादव पुत्र श्री दिनेश चन्द यादव, निवासी मालीवास बिजवाड नरूका, तहसील व थाना मालाखेडा जिला अलवर हाल प्राईवेट लैब टैक्नीशियन विजय डायगोनिस्ट सेन्टर मालाखेडा, जिला अलवर होना बताया। इस पर उक्त राहुल यादव को यथावत स्थिति मे अपने हमराह लेकर उक्त विजय डायगोनिस्ट सेन्टर मालाखेडा के पास ही स्थित एक दुकान जिस पर डॉ. जितेन्द्र शेखर सिनियर फिजिशियन सी.एच.सी. मालाखेडा लिखा हुआ है, पर गया तो सामने डॉक्टर की कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति की ओर ईशारा करके परिवादी श्री रामसिंह ने बताया कि यही डॉ. जितेन्द्र शेखर है। जिसने अभी अभी इस लडके राहुल को हमारे से रिश्वत राशि दिलवाई है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के उक्त क्लिनिक मे प्रवेश कर उक्त क्लिनिक पर डॉक्टर की सीट पर बैठे हुए व्यक्ति को अपना एवं हमराहियान का परिचय देकर उससे उसका परिचय पूछा तो पहले तो उसके चेहरे की हवाईयाँ उड गई फिर उसने अपना नाम–पता डॉ. जितेन्द्र शेखर पुत्र श्री चन्द्रशेखर, जाति जाटव, उम्र 46 साल, निवासी बी –270 मालवीय नगर, अलवर हाल वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मालाखेडा, जिला अलवर होना बताया। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने उक्त डॉ. जितेन्द्र शेखर से परिवादी रामसिंह एवं सन्तोष मीणा से कल दिनांक 20.09.2022 को परिवादी श्री रामसिंह एवं सन्तोष

मीणा से देशराज की मेडिकल रिपोर्ट तैयार कर देने की एवज मे 22,000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग करने एवं अपनी उक्त रिश्वत राशि की मांग के क्रम मे आज दिनांक 21.09.2022 को अभी अभी उक्त दोनो से श्री राहुल यादव को दिलवाई गई 22 हजार रूपये की रिश्वत राशि के बारे मे पूछा गया तो आरोपी डॉ. जितेन्द्र शेखर ने परिवादी के साथी सन्तोष मीणा की तरफ ईशारा करके बताया कि ये लोग दिनांक 19.9.2022 को मेरे पास मेडिकल रिपोर्ट बनवाने हेतु आये थे, तब इन्होने मेरे से अच्छी रिपोर्ट बनाने के लिये कहा था। उसके बाद कल दिनांक 20.9.2022 को करीबन सवा पांच बजे मेरे पास यही क्लिनिक पर आये थे और इन्होने मेरे से मेडिकल रिपोर्ट तैयार करवाने के लिये बातचीत की थी तब इसने मुझे कहां था की वो 22 हजार रूपये दे रहे है, तो मैने कहा कि ठीक है ले आना। उसके बाद यह मेरी उक्त क्लिनिक से चला गया था। उसके बाद अभी कुछ देर पहले ये दोनो मेरे पास आये और मुझ से हाथ जोडकर बोले की साहब हमारी मेडिकल रिपोर्ट अच्छी बना देना। इस पर मैने इनसे कहा कि आप राजीनामा कर लो आपके तो चोट नॉर्मल है तथा दूसरी पार्टी के भारी चोट आई है और मैने आपकी मेडिकल रिपोर्ट बना दी है। पैसे ले आये क्या तो इन्होने कहां कि हां लियाये। कितने लाये हो। इस पर इन्होने कहा कि 22 हजार रूपये लेकर आये है। इस पर मैने इनको उक्त रूपये मेरी बगल की लैब मे राहुल को देने हेतु कहा था। फिर मैने कहा कि मै लडके को बुलाता हूँ उसको दे देना। फिर मैने अपने मोबाईल से विजय डायगोनिस्ट सेन्टर मालाखेडा पर कार्यरत लडके इस राहुल (राहुल की ओर ईशारा करके) को मिसकॉल करके अपने पास बुलाया और इन दोनो को राहुल के साथ जाकर उसे पैसे देने को कहकर इन्हे राहुल के साथ मेरी क्लिनिक से बाहर भेज दिया था। कुछ देर बाद मे राहुल मेरे पास आया और उसने इनसे 22 हजार रूपये लेने के लिये मुझे बताकर वापस अपनी लैब पर चला गया। पैसे अभी राहुल के पास ही होंगे। इस पर राहुल यादव से पूछा तो उसने बताया कि कुछ देर पहले मै अपनी लैब पर था, उस समय इन डॉक्टर साहब का मेरे पास मिस कॉल आया। जिस पर मै इनके पास आया तो इनके पास ये दोनो खडे थे। डॉक्टर साहब ने इन दोनो को मेरे साथ भेज दिया जिनको मै अपने साथ लेकर मेरी लैब पर चला गया। जहाँ पर मैने पूछा कि मेरे से क्या काम है। इस पर श्री सन्तोष मीणा की ओर ईशारा करके बताया कि इसने कहा कि डॉक्टर साहब ने आपको पेमेन्ट देबा की कही है। दे दे तो यार फिर इसने अपनी पेन्ट की जेब से रूपये निकाल कर दिये। मैने पूछा कितना है। फिर इसने कहा कि 22 हजार है। मैने इससे राशि को अपने हाथो मे लेकर इनके सामने ही गिना तो उनमे 500–500 रूपये के 44 नोट कुल 22 हजार रूपये थे। जिनको मैने अपनी पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब मे रख लिया। उसके बाद मै इन डॉक्टर साहब के पास आया और ये दोनो मेरी लैब से चले गये। मैने डॉक्टर साहब के पास आकर इनको कहा कि 22 हजार रूपये देकर गये है। इस पर डॉ. साहब ने ईशारे से कहा कि ठीक है। इस पर मै वापस अपनी लैब पर आ गया। उसके कुछ देर बाद ही ये दोनो आप लोगो को अपने साथ लेकर मेरे पास लैब पर आ गये। इनसे लिये हुए 22 हजार रूपये अभी मेरी पेन्ट की दाहिनी जेब मे रखे हुए है। उक्त दोनो आरोपीगणों के द्वारा बताये गये उक्त तथ्यों के बारे मे परिवादीगण से पूछा तो श्री सन्तोष मीणा ने बताया कि हम दिनांक 19.09.2022 को इन डॉक्टर साहब के पास रामसिंह के बेटे देशराज की मेडिकल रिपोर्ट बनवाने के लिये सरकारी हॉस्पीटल मे गये थे, तब इन्होने देशराज की मेडिकल रिपोर्ट अच्छी बनाने के लिये हमारे से 25 हजार रूपये रिश्वत के मांगे थे। रामसिंह इस डॉक्टर साहब को रिश्वत नही देकर उसे आपके विभाग से पकडवाने की बात कही थी। उसके बाद कल दिनांक 20.9.2022 को रामसिंह इन डॉक्टर साहब को रिश्वत लेते हुए पकड़वाने के लिये कार्यवाही करने हेतु आपके पास अलवर जाने के बारे मे बताकर गया था। उसके बाद मे कल दिनांक 20.9.2022 को मै मालाखेडा आया तो मुझे रामसिंह आपके विभाग के महेश जी के साथ यहां मालाखेडा मे मिले थे, तब महेश जी ने मुझे एक छोटा टेप चालु करके देकर इन डॉक्टर साहब के पास भेजा था। जिस पर मै इनसे इनके इस क्लिनिक पर आकर मिला था और रामसिंह के बेटे देशराज के मेडिकल के बारे मे बातचीत की तो इन्होने मेरे से देशराज की मेडिकल रिपोर्ट अच्छी बनाने की एवज मे 22 हजार रूपये रिश्वत मांगे थे और कल दिनांक 20.9.2022 को शाम को 7 बजे तक लाकर देने के लिये कहा था। आज अभी कुछ देर पहले मै आपके विभाग द्वारा पाऊडर लगाकर दिये गये 22 हजार रूपये को लेकर मै एवं रामसिंह इन डॉ. जितेन्द्र शेखर के पास उनकी क्लिनिक मे आये। जहाँ पर डॉक्टर साहब हमे अकेले ही बैठे मिले। जिनसे हमने देशराज की मेडिकल रिपोर्ट के बारे मे बात की तो इन डॉक्टर साहब ने हमे कहा कि आपकी रिपोर्ट तो नॉर्मल ही बन रही है, उनके अर्थात दूसरी पार्टी के ज्यादा चोट है, आप राजीनामा कर लो। जिस पर हमने कहा कि साहब आप तो कह रहे थे कि आपकी मेडिकल रिपोर्ट अच्छी बना दूंगा। इसी दौरान डॉक्टर साहब ने कहा कि पैसे ले आये क्या, तो हमने कहा कि ले आये। इस पर डॉक्टर साहब ने पूछा कि कितने है तो रामसिंह ने कहा कि 22 हजार है डाक्टर साहब। इस पर डॉक्टर साहब ने पहले तो हमे कहा कि बगल वाली लैब मे राहुल है, उसको पैसे दे देना और मेरी बात करवा देना। फिर डॉ.साहब ने अपने मोबाईल से फोन करके पास ही स्थित लैब से एक लडके को अपने पास बुलाया और कहा कि इस लडके को पैसे दे दो। इस पर हम दोनो को वह लडका अपनी लैब पर लेकर गया और वहाँ पर जाते ही उस लडके ने कहा कि क्या बात है इस पर मैने कहा कि डॉक्टर साहब ने आपको पेमेन्ट देबा की कही है। इस पर राहुल ने कहा कि दे जा तो यार। इस पर मैने अपनी जेब मे रखे हुए पाऊडर लगे 500 – 500 रूपये के 44 नोटों कुल राशि 22 हजार रूपये निकाल कर उस लडके को दिये तो उसने कहा की कितने है।

इस पर मैने कहा कि बाईस हजार है, गिन लो। जिस पर इस लडके ने मेरे से रूपयो को अपने दाहिने हाथ मे लेकर रूपयो को अपने दोनो हाथो से गिनकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब मे रख लिया और वहां से निकल कर डॉक्टर साहब के पास चला गया तथा हम दोनो भी वहां से निकल कर बाहर आ गये। कुछ देर बाद यह लडका भी डॉक्टर साहब के पास से वापस अपनी लैब पर आ गया था। श्री सन्तोष मीणा एवं उक्त दोनो आरोपीगणों के द्वारा बताये गये उक्त कथनो के बारे मे पूछा गया तो उसने श्री सन्तोष मीणा द्वारा बताये गये उक्त तथ्यों की ताईद/पुष्टि की। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी के क्लिनिक में रखे हुये पानी के कैम्पर से एक बोतल में पानी भरवाकर मंगवाया गया। ट्रैप बाक्स से दो साफ काँच के गिलास निकालकर उन्हे उक्त साफ पानी से पुनः धुलवाकर साफ करवाया गया तत्पश्चात उक्त दोनो गिलासों में साफ पानी भरकर उनमें एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर की डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित सभी को दिखाया गया तो सभी ने घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त गिलासो मे से एक गिलास के घोल में आरोपी श्री राहुल यादव के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर उनका धोवन लिया गया तो गिलास के धोवन का रंग गुलाबी हुआ, जिसे सम्बन्धितो ने देखकर गिलास के धोवन का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त गिलास के धोवन को दो साफ कांच की शीशीयों में आधा–आधा डालकर सील मुहर व चिट चस्पाकर उन पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क R-1, R-2 अंकित कर कब्जा लिया गया। इसके बाद दूसरे गिलास के घोल में आरोपी श्री राहुल यादव के बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धोवन लिया गया तो उस गिलास के धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे सभी सम्बन्धितों ने देखकर गिलास के धोवन का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। इसके बाद उक्त गिलास के धोवन को भी दो साफ काँच की शीशीयों में आधा–आधा डालकर सील मुहर व चिट चस्पा कर सभी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क L-1, L-2 अंकित कर कब्जा लिया गया।

तत्पश्चात आरोपी श्री राहुल यादव द्वारा बताये अनुसार उसके शरीर पर पहनी हुई पेन्ट जो काले से रंग की है, की आगे की दाहिनी साईड की जेब की तलाशी गवाह श्री राकेश से लिवाई गई तो उन्होने उक्त जेब मे से 500 रूपये के नोट मे फोल्ड किये हुए कुछ रूपये निकाले। उक्त दोनो गवाहान से उक्त राशि को गिनकर बताने हेतु कहा तो उसने 500–500 रूपये के 44 नोट कुल राशि 22,000 रूपये होना बताया। उक्त बरामदशुदा नोटो के नम्बरो का पूर्व की तैयार की हुई फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट मे अंकित नोटो के नम्बरो से मिलान करवाने पर दोनो गवाहान ने नोटो के नम्बरो का हूबहू मिलान होना बताया। बरामद शुदा नोटो का विवरण फर्द में अंकित करवाया जाकर उक्त बरामद शुदा नम्बरी 22,000 रूपये के नोटो को एक कागज के लिफाफे मे रखकर उक्त लिफाफे पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर नोटो के लिफाफे को सील्ड कर वजह सबूत कब्जा लिया गया। तत्पश्चात ट्रैप बाक्स से एक अन्य साफ काँच के गिलास निकालकर उसे साफ पानी से पुनः धुलवाकर साफ करवाया गया तत्पश्चात उक्त गिलास में साफ पानी भरकर उनमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर की डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित सभी को दिखाया गया तो सभी ने घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया। श्री राहुल यादव के शरीर पर पहनी हुई पेन्ट जो काले से रंग की थी, को सःसम्मान उतरवाकर उसके घर से मंगवाई गई दूसरी पेन्ट पहनाई गई। श्री राहुल यादव के शरीर से उतरवाई गई पेन्ट की आगे की दाहिनी साईड की जेब जिसमे से रिश्वत राशि बरामद हुई थी, को उलटवाकर उक्त घोल के गिलास मे डूबोकर उसका धोवन लिया गया तो गिलास के धोवन का रंग गुलाबी हुआ, जिसे सम्बन्धितो ने देखकर गिलास के धोवन का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त गिलास के धोवन को दो साफ कांच की शीशीयों में आधा–आधा डालकर सील मुहर किया गया व चिट चस्पाकर उन पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क P-1,P-2 अंकित कर कब्जा लिया गया। परिवादी श्री रामसिंह के पुत्र देशराज की मेडिकल रिपोर्ट से संबंधित दस्तावेज पेश करने हेतु आरोपी डॉ. जितेन्द्र शेखर को कहा गया तो उसने मेडिकल रिपोर्ट से संबंधित दस्तावेज सी.एच.सी. मालाखेडा मे होने बाबत बताया। तत्पश्चात मौका घटना स्थल आम रास्ते पर होने से भीड एकत्रित होने लगी इसलिये कार्यवाही करने हेतु उपयुक्त एवं सुरक्षित स्थान नही होने के कारण मन् पुलिस निरीक्षक मय आरोपीगण डॉ. जितेन्द्र शेखर, वरिष्ठ विशेषज्ञ, सी.एच.सी. मालाखेडा, जिला अलवर एवं श्री राहुल यादव, प्राईवेट लैब टैक्नीशियन विजय डायगोनिस्ट सेन्टर मालाखेडा, जिला अलवर को पुलिस थाना मालाखेडा पर अग्रिम कार्यवाही हेतु लेकर चलने को कहा तो आरोपी डॉ. जितेन्द्र शेखर ने कहा कि वर्तमान मे मेरे पास तीन रोगी ऑबजरवेशन मे है। इस पर मौके पर डयूटी डॉक्टर कैलाश सैनी, सी.एच.सी. मालाखेडा एवं डॉ. लोकेश मीणा, ब्लॉक सी.एम. एण्ड एच.ओ. को जरिये मोबाईल तलब किया गया तथा उनको उक्त आरोपी डॉक्टर के पास निजी क्लिनिक पर ऑबजरवेशन हेतु रखे हुए तीनो महिला मरिजों को जरिये पत्र सुपुर्द कर उनका इलाज राजकीय चिकित्सालय मे ले जाकर करने हेतु कहा।

तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक मय आरोपीगण डॉ. जितेन्द्र शेखर, वरिष्ठ विशेषज्ञ, सी.एच.सी. मालाखेडा, जिला अलवर एवं श्री राहुल यादव, प्राईवेट लैब टैक्नीशियन, दोनो गवाहान, परिवादीगण, ब्यूरो स्टाफ एवं उपरोक्त जब्तशुदा सील्डबंद रिश्वत राशि, धोवण के सैम्पलो इत्यादि को सुरक्षित ट्रेप बॉक्स मे रखवाकर ट्रेप बॉक्स को हमराह लेकर आये वाहनो से आरोपी डॉ. जितेन्द्र शेखर की निजी क्लिनिक से पुलिस थाना मालाखेडा के लिये समय 5.50 पी.एम. पर रवाना होकर पुलिस थाना मालाखेडा पर समय 6.00 पी.एम. पर गया। जहाँ पर अग्रिम कार्यवाही शुरू करते हुए आरोपी राहुल यादव की पेन्ट

की जेब को सुखाकर एक कागज की पर्ची पर दोनो गवाहान, परिवादी एवं आरोपीगणो के हस्ताक्षर करवाकर मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने हस्ताक्षर कर उस पर्ची को उक्त पेन्ट की दाहिनी जेब मे रखा गया। तत्पश्चात उक्त पेन्ट को एक कपडे की थैली मे सुरक्षित रखवाकर उक्त थैली पर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क P से चिन्हित कर कब्जा लिया गया।

परिवादी से पूर्व में प्राप्त डिजिटल वाईस रिकार्डर को चलाकर सुना गया तो उसमे रिश्वत राशि लेन–देन के समय की वार्तालाप रिकॉर्ड होना पाई गई जिसकी अलग से फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट एवं सी.डी. तैयार की जावेगी। परिवादीगण एवं आरोपीगणो को अलग–अलग एवं एक साथ करके आपसी कोई रूपयो का पुराना उधार का लेन देन बकाया होने या कोई आपसी रंजिश होने के बारे में पूछा गया तो चारो ने कोई आपसी रंजिश या रूपयो का पुराना उधार का लेन देन बकाया होने से मना किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही की फर्द बरामदी रिश्वती राशि एवं हाथ धुलाई पृथक से तैयार कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। परिवादी श्री रामसिंह के पुत्र श्री देशराज से सम्बन्धित सी.एच.सी.मालाखेडा की एम.एल.सी. रिकार्ड की सत्यापित प्रतियों को जरिये फर्द जब्त किया गया एवं घटना स्थल का मौका मुआयना कर फर्द नक्शा मौका घटना स्थल तैयार किया गया।

तत्श्चात आरोपी डॉ. जितेन्द्र शेखर पुत्र श्री चन्द्रशेखर, जाति जाटव, उम्र 46 साल, निवासी बी–270 मालवीय नगर, अलवर हाल वरिष्ठ विशेषज्ञ, राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मालाखेडा, जिला अलवर द्वारा परिवादी श्री रामसिंह एवं उसके साथी श्री सन्तोष कुमार मीणा से पुलिस थाना मालाखेडा के मुकदमा नं. 664/2022 मे परिवादी रामसिंह के पुत्र देशराज मीणा का चोट प्रतिवेदन अच्छा तैयार करके देने की एवज मे रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान दिनांक 20.09.2022 को अपने स्वंय के लिये 22,000 रूपये रिश्वत की माँग करना एवं अपनी उक्त मांग के क्रम मे दिनांक 21.09.2022 को परिवादीगण श्री रामसिंह एवं सन्तोष कुमार मीणा से 22,000 रूपये की रिश्वत राशि अपने दलाल श्री राहुल यादव को दिलवाना तथा आरोपी श्री राहुल यादव पुत्र श्री दिनेश चन्द यादव, निवासी मालीवास बिजवाड नरूका, तहसील व थाना मालाखेडा जिला अलवर हाल प्राईवेट लैब टैक्नीशियन विजय डायग्नोस्टिक सेन्टर मालाखेडा, जिला अलवर द्वारा दिनांक 21.09.2022 को दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी डा0 जितेन्द्र शेखर के कहने पर परिवादीगण श्री रामसिंह एवं सन्तोष कुमार मीणा से 22,000 रूपये की रिश्वत राशि आरोपी डा0 जितेन्द्र शेखर के लिये प्राप्त करना एवं रिश्वत राशि उक्त आरोपी श्री राहुल यादव की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी साईड की जेब से बरामद होने से उक्त दोनो आरोपीगणों का उक्त कृत्य जुर्म अर्न्तगत धारा 7, 7 ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120बी भा0द0सं0 के तहत कारीत होना उक्त ट्रेप कार्यवाही से प्रथम दृष्टया प्रमाणित होने पर समय 10.50 पी.एम. पर आरोपी –गण डॉ. जितेन्द्र शेखर, वरिष्ठ विशेषज्ञ, राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मालाखेडा, जिला अलवर को एवं समय 11.20 पी.एम. पर श्री राहुल यादव पुत्र श्री दिनेश चन्द यादव, निवासी मालीवास बिजवाड नरूका, तहसील व थाना मालाखेडा जिला अलवर हाल प्राईवेट लैब टैक्नीशियन विजय डायगोनिस्ट सेन्टर मालाखेडा, जिला अलवर को उनके द्वारा किये गये जुर्म एवं उनके संवैधानिक अधिकारो से आगाह कर कानूनी प्रावद्यानो की पालना करते हुये जरिये फर्द अलग–अलग गिरफ्तार किया गया।

_बाद मौके की कार्यवाही दिनांक 22.09.2022 को समय 12.30 ए.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान, मय दोनों परिवादीगण, एसीबी जाब्ता मय ट्रेप बॉक्स मय लैपटॉप प्रिन्टर मय ट्रैप कार्यवाही के दौरान जब्त/सील्ड शुदा आर्टिकल्स, रिश्वती राशि के मय गिरफ्तार शुदा मुल्जिम डा0 जितेन्द्र शेखर एवं श्री राहुल यादव के एक प्राईवेट वाहन व एक सरकारी वाहन के पुलिस थाना मालाखेडा, जिला अलवर से रवाना होकर गिराफ्तारशुदा आरोपीगण का स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर उन्हे रात्रीकालिन विश्राम हेतु पुलिस थाना शिवाजी पार्क की हवालात मे रखवाने हेतु सुपुर्द कर समय 02.30 ए.एम. पर दोनो परिवादीगण, ब्यूरो स्टाफ एवं जब्तशुदा आर्टीकल्स सहित एसीबी कार्यालय, अलवर प्रथम, अलवर पर उपस्थित आया। ट्रेप बॉक्स एवं जब्तशुदा रिश्वती राशि/आर्टिकल्स को कार्यालय में रखवाया जाकर रात्री विश्राम किया गया। दिनांक 22.09.2022 को समय 05.30 ए.एम. पर दोनो गवाहान एवं परिवादीगणो की उपस्थिति मे दिनांक 21.09.2022 को रिश्वत लेन–देन के समय परिवादीगण श्री रामसिंह, श्री सन्तोष कुमार मीणा एवं आरोपीगण डा0 जितेन्द्र शेखर, वरिष्ठ विशेषज्ञ, सी.एच.सी., , मालाखेडा, जिला अलवर एवं श्री राहुल यादव प्राईवेट व्यक्ति दलाल के मध्य हुई वार्ताओं के रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर को विभागीय लैपटॉप में जोडकर चालूकर उक्त में रिकार्डशुदा वार्ताओं की ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। उपरोक्त वार्ताओं में परिवादी श्री रामसिंह व श्री सन्तोष कुमार मीणा द्वारा अपनी–अपनी आवाज व आरोपी डा0 जितेन्द्र शेखर, वरिष्ठ विशेषज्ञ, सी.एच.सी., , मालाखेडा, जिला अलवर एवं श्री राहुल यादव प्राईवेट व्यक्ति दलाल की आवाज की पहचान की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की संबंधित वॉईस क्लिप से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनो गवाहान तथा परिवादीगण ने सही होना स्वीकार किया। वार्ता की सीडी बनवाने हेतु तीन खाली सीडी मंगवायी जाकर तीनों को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकॉर्डशुदा उक्त वार्ताओं की लैपटॉप की सहायता से बारी–बारी से तीन सीडी तैयार की जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर क्रमशः तीनों सीडीयों पर मार्क "बी–1", मार्क "बी–2" एवं मार्क "बी–3" अंकित कर दोनों गवाहान तथा परिवादीगण श्री रामसिंह एवं सन्तोष कुमार मीणा के हस्ताक्षर करवाकर सीडी मार्क "बी–1" व मार्क "बी–2" को पृथक–पृथक प्लास्टिक के सीडी कवर में सुरक्षित रखकर दोनों को सफेद कपड़े की थैलीयों में पृथक–पृथक सील मुहर किया जाकर कपड़े की थैलीयों पर भी मार्क "बी–1" व

मार्क ''बी–2'' अंकित कर गवाहान एवं परिवादीगण के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ए.सी.बी. लिया गया तथा मार्क ''बी–3'' को अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। उक्त कार्यवाही मे उपयोग लिये गये उक्त डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मे लगे एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 16 GB के फोल्डर नं. 01 मे दिनांक 20.09.2022 को परिवादीगण व आरोपी डा0 जितेन्द्र शेखर, वरिष्ठ विशेषज्ञ, सी.एच.सी.मालाखेडा के मध्य रिश्वत मांग सत्यापन के समय हुई रूबरू वार्ताऐं रिकार्ड की हुई है तथा फोल्डर नं0 2 में दिनांक 21.09.2022 को परिवादीगण व आरोपीगण डा0 जितेन्द्र शेखर, वरिष्ठ विशेषज्ञ, सी.एच.सी.मालाखेडा एवं श्री राहुल यादव प्राईवेट व्यक्ति दलाल के मध्य रिश्वत राशि लेने –देन के समय हुई वार्ता रिकॉर्ड की हुई है। उक्त एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 16 GB को सुरक्षित हालात मे यथावत उक्त वॉइस रिकार्डर से निकाल कर उसे एक सफेद कागज की चिट जिस पर सभी संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर उसे, एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 16 GB के साथ एक खाली माचिस की डिब्बी मे सुरक्षित रखा गया एवं उक्त माचिस की डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली मे सुरक्षित हालात मे रखकर थैली को सील्डचिट कर उस पर मार्क S अंकित कर वजह सबूत कब्जे ए.सी.बी. लिया गया। उक्त प्रकिया से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं की जो सीडी बनाई गई है उनमें किसी भी प्रकार की छेडछाड एवं कांट–छांट नही की गई है। जिसकी पृथक से फर्द ट्रांसक्रिप्ट एवं जब्ती सीडी रिश्वत लेन–देन वार्ता तैयार कर शामिल पत्रावली की गई तथा उक्त कार्यवाही मे जब्तशुदा आर्टीकल्स को सील्ड करने हेतु उपयोग ली गई कार्यालय की ब्राश सील नं. 37 का नमूना फर्द पर अंकित कर उसे नष्ट किया गया। जिसकी फर्द नष्टीकरण नमूना ब्राशसील नं. 37, पृथक से तैयार करवाई जाकर शामिल पत्रावली किया जाकर समय 08.30 ए.एम. पर बाद ट्रैप कार्यवाही परिवादीगण श्री रामसिंह, श्री सन्तोष कुमार मीणा एवं स्वतन्त्र गवाहान श्री साहिल गुर्जर, कनिष्ठ सहायक एवं श्री राकेश, कनिष्ठ सहायक को आवश्यक हिदायत देकर कार्यालय से रवाना किया गया एवं जब्त / सिल्डशुदा समस्त आर्टिकल्स, मोबाईल फोन, जब्तशुदा रिश्वती राशि 22 हजार रू0 मालखाना प्रभारी चौकी हाजा को सुपुर्द कर जमा चौकी मालखाना करवाया गया।

अब तक सम्पन्न की गई कार्यवाही एवं मौके के हालात से आरोपी डॉ. जितेन्द्र शेखर, वरिष्ठ विशेषज्ञ, राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मालाखेडा, जिला अलवर द्वारा परिवादी श्री रामसिंह एवं परिवादी के साथी श्री सन्तोष कुमार मीणा से पुलिस थाना मालाखेडा के मुकदमा नं. 664/2022 मे परिवादी रामसिंह के पुत्र श्री देशराज मीणा का चोट प्रतिवेदन अच्छा तैयार करके देने की एवज मे रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान दिनांक 20.09.2022 को अपने स्वंय के लिये 22,000 रूपये रिश्वत की माँग करना एवं अपनी उक्त मांग के क्रम मे दिनांक 21.09.2022 को दौराने ट्रेप कार्यवाही परिवादीगण श्री रामसिंह एवं सन्तोष कुमार मीणा से 22,000 रूपये की रिश्वत राशि अपने दलाल श्री राहुल यादव को दिलवाने एवं आरोपी श्री राहुल यादव प्राईवेट व्यक्ति दलाल द्वारा आरोपी डा0 जितेन्द्र शेखर के कहने पर उक्तानुसार 22,000 रू की रिश्वत राशि आरोपी डा0 जितेन्द्र शेखर के लिये प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेन्ट की जेब में रखने पर आरोपी डॉ. जितेन्द्र शेखर, वरिष्ठ विशेषज्ञ, राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मालाखेडा, जिला अलवर एवं श्री राहुल यादव दलाल का उक्त कृत्य अपराध अर्न्तगत धारा 7, 7 ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120बी भा0द0सं0 मे प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है।

अतः उक्त दोनो आरोपीगण डॉ. जितेन्द्र शेखर पुत्र श्री चन्द्रशेखर, जाति जाटव, उम्र 46 साल, निवासी बी–270 मालवीय नगर, अलवर हाल वरिष्ठ विशेषज्ञ, राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मालाखेडा, जिला अलवर एवं श्री राहुल यादव पुत्र श्री दिनेश चन्द यादव, निवासी मालीवास बिजवाड नरूका, तहसील व थाना मालाखेडा जिला अलवर हाल प्राईवेट लैब टैक्नीशियन, विजय डायग्नोस्कि सेन्टर मालाखेडा, जिला अलवर के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, जयपुर की सेवामे सादर प्रेषित है।

भवदीय,

(प्रेमचन्द)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
अलवर प्रथम, अलवर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री प्रेमचन्द, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अलवर-प्रथम, अलवर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. डॉ. जितेन्द्र शेखर पुत्र श्री चन्द्रशेखर, हाल वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मालाखेड़ा, जिला अलवर एवं 2. श्री राहुल यादव पुत्र श्री दिनेश चन्द यादव, निवासी मालीवास बिजवाड़ नरूका तहसील व थाना मालाखेड़ा, जिला अलवर हाल प्राईवेट लैब टैक्नीशियन, विजय डायग्नोस्टिक सेन्टर मालाखेडा, जिला अलवर विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 376/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

22.9.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक 3266-70 दिनांक 22.9.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-3/शिकायत) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र0 नि0 ब्यूरो, अलवर-प्रथम, अलवर।

22.9.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर